तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :–245/2024 पूर्णसिंह बनाम नरेन्द्र वगै0 प्रा. पत्र. अ. धा. 151, 152, 153 सी. पी. सी.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.12.24	प्रार्थना पत्र अ. धा. 151, 152, 153 सी. पी. सी. प्रार्थी द्वारा जरिये वकील मीना कुमारी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी को बहस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील कथन है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नं. 356 रकबा 5.30 है0 व खसरा नं. 353 रकबा 0.49 है0 किता 2 का कुल रकबा 5.79 है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा तहसील गुढागौड़जी बाबत न्यायालय हाजा में एक वाद दायर किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गुढागौड़जी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव में भूमि खसरा नं. 353 के विभाजन प्रस्ताव में नये खसरा नं. 353/1 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 353/2 रकबा 0.23 है0 व खसरा नं. 353/3 रकबा 0.02 है0 व भूमि खसरा नं. 356 के 356/1 रकबा 1.76 है0, खसरा नं. 356/2 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 356/3 रकबा 1.29 है0, खसरा नं. 356/4 रकबा 0.34 है0, खसरा नं. 356/5 रकबा 1.29 है0, खसरा नं. 356/6 रकबा 0.47 है0 बनाकर तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर न्यायालय ने दिनांक 03.06.2024 को अंतिम डिक्री पारित की। उक्त निर्णय की पालना में वादी ने नामान्तकरण तस्दीक करवाने के लिए आवेदन किया तब जांच में आया कि खसरा नं. 353 का रकबा विभाजन प्रस्ताव में बढा दिया गया है व खसरा नं. 356 का रकबा विभाजन प्रस्ताव में कम कर दिया गया है जिसे दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील प्रार्थी को सुना जाकर पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि विभाजन प्रस्ताव में बने नये खसरा नं. 353/3 का रकबा 0.03 है0 व खसरा नं. 356/2 का रकबा 0.14 है0 किया गया है जो दुरूस्ती योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव में खसरा नं. 353/3 का रकबा 0.03 है0 को घटाकर 0.02 है0 व खसरा नं. 356/2 का रकबा 0.14 है0 को बढाकर 0.15 है0 दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश प्रकरण संख्या 1116/2023 उनवानी पूर्णसिंह बनाम नरेन्द्र आदि निर्णय दिनांक 03.06.2024 का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। 27/12/24 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	